

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 58/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल -विक्रेता व मालिक -  
निवासी सुरजीत सिंह कोलोनी, श्रीगंगानगर।  
मै० शिव वैरायटी स्टोर, गली नं. 7, गुरुनानक चौक, सेतिया कोलोनी, श्रीगंगानगर।
2. श्री राज कुमार फुटेला पुत्र श्री चरण दास -मालिक होलसेल फर्म-  
मै. आयुष ट्रेडर्स, 203-बाबा खेत्रपाल मंदिर रोड सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर
3. निर्माता फर्म मैसर्स डेमीगोड एग्रो फुड एंड प्रा. लि. प्लॉट नं. 62-63 एंड 43, सेक्टर 8ए,  
आईआईई, सिदकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक: 10.01.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.12.2023 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/ 2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2024 को समय 02.45 पीएम बजे मै० शिव वैरायटी स्टोर, गली नं. 7, गुरुनानक चौक, सेतिया कोलोनी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे खाद्य पदार्थ **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने संस्थान पर 15 कार्टून के अंदर रखे खाद्य पदार्थ 200-200 एमएल के 405 पीस **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल (विक्रेता एवं मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति श्री सुनील कुमार (विक्रेता एवं मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** में से 200-200 एमएल के 20 मूल पैकेट को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** का नगद भुगतान 200/- रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** 200-200 एमएल के 20 मूल पैकेड को 5-5 पैकेड के चार नमूना तैयार किया। चारों पैकों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2297 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2297 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./567/Act/2024/567 Dated 15-05-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2297 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी सुरजीत सिंह कोलोनी, श्रीगंगानगर, मै0 शिव वैरायटी स्टोर, गली नं. 7, गुरुनानक चौक, सेतिया कोलोनी, श्रीगंगानगर व श्री राज कुमार फुटेला पुत्र श्री चरण दास, मालिक होलसेल फर्म, मै. आयुष ट्रेडर्स, 203-बाबा खेत्रपाल मंदिर रोड सेतिया फार्म,



*(Signature)*  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर और निर्माता फर्म मैसर्स डेमीगोड एग्रो फूड एंड प्रा. लि. प्लॉट नं. 62-63 एंड 43, सेक्टर 8ए, आईआईई, सिदकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा अमानक स्तर का **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 28 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी 41 पटेल नगर, अंबाला का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म में डेमीगोड एग्रो फूड प्रा.लि. प्लॉट नं. 62 एंड 43 सेक्टर 8 ए आई आईए हरिद्वार का मार्केटिंग ऑफिसर है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/1942 दिनांक 03.12.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** की जांच की गई तो **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** सब स्टेडर्ड फूड होना पाया गया। प्रार्थी ने उक्त **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ready to serve fruit Beverage Mango(Demi's Aam Rus)** का सैम्पल **K-2297** जांच रिपोर्ट क्रमांक:- **L.S./567/Act/2024/567 Dated 15-05-2024** द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Ready to serve fruit Beverage (Aam Rus)**" bearing Code No and Sr. No. **K-2297**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not



*[Handwritten Signature]*  
जिला कलेक्टर (प्रशा.)  
श्रीगंगानगर

conform the standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011 की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।


फलस्वरूप अभियुक्तगण श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी सुरजीत सिंह कोलोनी, श्रीगंगानगर, मै० शिव वैरायटी स्टोर, गली नं. 7, गुरुनानक चौक, सेतिया कोलोनी, श्रीगंगानगर व श्री राज कुमार फुटेला पुत्र श्री चरण दास, मालिक होलसेल फर्म, मै. आयुष ट्रेडर्स, 203-बाबा खेत्रपाल मंदिर रोड सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर और निर्माता फर्म मैसर्स डेमीगोड एग्रो फुड एंड प्रा. लि. प्लॉट नं. 62-63 एंड 43, सेक्टर 8ए, आईआईई, सिदकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाए जाते हैं।

फलतः अभियुक्तगण श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी सुरजीत सिंह कोलोनी, श्रीगंगानगर, मै० शिव वैरायटी स्टोर, गली नं. 7, गुरुनानक चौक, सेतिया कोलोनी, श्रीगंगानगर व श्री राज कुमार फुटेला पुत्र श्री चरण दास, मालिक होलसेल फर्म, मै. आयुष ट्रेडर्स, 203-बाबा खेत्रपाल मंदिर रोड सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर और निर्माता फर्म मैसर्स डेमीगोड एग्रो फुड एंड प्रा. लि. प्लॉट नं. 62-63 एंड 43, सेक्टर 8ए, आईआईई, सिदकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 20,000/- (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)  
अति० जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर